पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 6-12-17 को पेश हो।

6-12-17

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्ट/रेस्पोन्डेन्ट पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 24-1-18 को पेश हो।

24.1.18

वकील अपीलान्ट उपस्थित । बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि अदालत मातहत ने प्रकरण में विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न देकर प्रार्थना पत्र ~~00~~ में जारी स्थगन आदेश को आदेश 39 नियम-3 सीपीसी की पालना नहीं करने पर बिना प्रकरण की जांच किये ही खारिज कर दिया अदालत मातहत के आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी का रहन बैय अन्तरण करने पर आमादा है । यदि रेस्पोडेन्ट अपने इस कुउद्देश्य मे सफल हो जाते हैं तो अपीलान्ट का अपील पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा ।अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार कर विवादित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखे जाने हेतु रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जावे ।

बहस बगौर विद्वान वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय सुनी गई । अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय केवल आदेश-39 नियम-3 सीपीसी की पालना नहीं करने पर जारी स्थगन आदेश को खारिज किया है। यह सही है कि अदालत मातहत ने अपने एकपक्षीय ~~की~~ आदेश के समय अपीलान्ट को ~~00~~ आदेश-39 नियम-3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करने के आदेश

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	दिये जिस की पालना करने में अपीलान्ट असफल रहा कानूनन अपीलान्ट को अदालत मातहत के आदेश की पालना सुनिश्चित करनी चाहिये थी । अदालत मातहत ने अपने आदेश की पालना नहीं करने पर आदेश निरस्त कर प्रार्थना पत्र को खारिज किया है । अतः हम न्यायहित में यह उचित मानते हैं कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निर्णय-दो माह में किया जावे । इसके लिये हम अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर 1000/- रूपये एक हजार रूपये की कोस्ट पर स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 12-5-2016 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । अपीलान्ट अदालत मातहत में अप्रार्थीगण के नोटिस नियत पेशी के 7/- दिन में ﴾रजिस्टर्ड ए0डी0﴿ पेश करदेवे पेश होने पर जारी होगा पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 27-2-2018 को उपस्थित होवे । पत्रावली नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया । 24/1/18 ﴾भंवरलाल मेहरड़ा﴿ भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	